2562
6/11/2020 संख्या- 1046 /xxiv-B-1/2020-04(67)/2005

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांक 05 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2020

विषयः- प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पदों पर व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, अपने पत्रांकः सेवाए-2/2835/रा०गा०न०वि०(प्रतिनि०)/03/2020-21, दिनांक-30.06.2020 एवं पत्रांकः सेवाए-2/14621/रा०गा०न०वि०(शि०व्या०)/03/2020-21, दिनांक-16.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति (वी०एम०सी०) के माध्यम से मानदेय पर रखे जाने की व्यवस्था किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

1. राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने अथवा शासन द्वारा अन्य निर्णय लिये जाने तक इन पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति/तैनाती की जाय।
2. इन विद्यालयों में पूर्व से प्रतिनियुक्ति/शासन के पत्र दिनांक 16.02.2016 के पूर्व एवं उसके पश्चात आतिथि तक संविदा/मानदेय व्यवस्था पर कार्यरत कार्मिकों को यथावत रखते हुए अवशेष शैक्षणिक (पी०जी०टी०/टी०जी०टी०) रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने अथवा शासन द्वारा अन्य निर्णय लिये जाने तक, राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति/तैनाती हेतु निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार ही गेस्ट टीचरों की नियुक्ति/तैनाती की जाय।
3. इन विद्यालयों के ढ़ाचे में उल्लिखित आउटसोर्स के पदों पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से तत्काल तैनाती की जाय।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में उपरोक्तानुसार अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।